





प्रधान कार्यालय : 66, राजाजी सालै, चेन्नै - 600 001 कॉर्पोरेट कार्यालय : 254—260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै - 600 014

पोस्टल बैलट सूचना / POSTAL BALLOT NOTICE

प्रिय शेयरधारक(को)

यह सूचना, समय—समय पर आशोधित सेबी के विनियमन (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ), 2015 के विनियमन 44 एवं कंपनी नियम (प्रबंधन एवं प्रशासन), 2014 के नियम 22 (समय—समय पर कृत सांविधिक आशोधन या पुनर्धिनियमन सहित) में उल्लेखित अपेक्षाओं के अनुपालन में विशेष संकल्पों को पोस्टल बैलट, जिसमें ईलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी शामिल है, के माध्यम से पारित करने के लिए इंडियन बैंक (जिसे आगे से बैंक कहा जाएगा) के शेयरधारकों से सहमति प्राप्त करने के लिए जारी किया जाता है।

प्रस्तावित विशेष संकल्प एवं उसके व्याख्यात्मक कथन में तात्विक तथ्य एवं उसके कारण प्रस्तुत किए गए हैं।

बैंक ने पोस्टल बैलट प्रक्रिया के निष्पक्ष एवं पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए मेसर्स एस एन अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी के सुश्री मालती कुमार (सीओपी सं. 10980) या उनकी गैर—मौजूदगी में सुश्री अश्विनी वर्तक (सीओपी सं. 16723), जो एस एन अनन्तसुब्रमियन एंड कें., कंपनी सचिव, थाने को चुनाव प्रक्रिया के संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

कृपया सूचना और फॉर्म दस्तावेज़ में उल्लेखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और फॉर्म को पूर्ण रूप से विधिवत भर कर उसे इसके साथ संलग्न स्व—पता मुद्रित पूर्व—प्रदत्त व्यावसायिक जवाबी लिफाफे में रख—कर संवीक्षक को **बुधवार, दिनांक 13 नवंबर 2019** को कार्यसमय समाप्ति के पहले अर्थात अपराहन 5.00 बजे से पहले लिफाफे पर दिए पते पर भेज दें।

बैंक विशेष संकल्प पर मतदान प्रदान करने के लिए शेयरधारकों को ई—वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध करा रही है। ई—वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के इच्छुक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इस सूचना को ध्यानपूर्वक पढें और ई—वोटिंग के संबंध में उल्लेखित निर्देशों का पालन करें।

पोस्टल बैलेट और ई-वोटिंग मंगलवार 15 अक्टूबर 2019 को शुरू होगी और बुधवार, 13 नवंबर 2019 को समाप्त होगी।

कार्यसूची मद संख्या 1

प्राथमिक आबंटन के माध्यम से भारत सरकार(जीओआई) को ईक्विटी शेयर जारी करना

निम्नलिखित संकल्प विचारार्थ है, तथा यदि पास करने योग्य हो तो संशोधन सहित / रहित विशेष संकल्प के रूप में :

एतद्वारा संकल्प पारित किया जाता है कि अधिमान्य आधार पर भारत सरकार(भारत के राष्ट्रपति) को इस प्रकार के रु. 10 / — अंकित मूल्य के इिक्वटी शेयरों को निर्मित करने, प्रस्तावित करने, जारी करने, आबंटित करने के लिए सेवी (पूंजी जारी और अपेक्षित प्रकटीकरण) अधिनियम, 2018 (आईसीडीआर विनियमन) के अनुपालन में प्रीमियम सिंहत कुल रु. 2534 करोड़(दो हज़ार पाँच सौ चौंतीस करोड़ रु.) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान), 1970(अधिनियम) तथा इंडियन बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन, 1999 यथा समय—समय पर संशोधित (विनियमन) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रित्मूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के अनुमोदन, सहमित, मंजूरी, यदि कोई हो, के अधीन है और / अथवा इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकारी और इस संबंध में शर्ते तथा संशोधन जैसे कि अनुमोदन देते समय उनके द्वारा विहित है और जिसमें निदेशक मंडल को सहमित हो और शर्तों के अधीन अर्थात्, समय—समय पर संशोधित सेवी (पूंजी जारी और अपेक्षित प्रकटीकरण) अधिनियम, 2018 (आईसीडीआर विनियमन), तथा भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य संबंधित प्राधिकारों द्वारा समय—समय पर निर्धारित विनियमन तथा स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ सूचीबद्ध करार, बैंक के शेयर धारकों की सहमित एवं बैंक के निदेशक मण्डल(जो अब से बोर्ड कहा जाएगा, जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित शक्तियों के प्रयोग के लिए कोई सिमित जिसे बोर्ड ने बनाया है / बना सकता है,) की सहमित है।

52





संकल्प पारित किया जाता है कि निर्गम मूल्य निर्धारित करने संबंधी तिथि सोमवार, 14 अक्तूबर 2019 है।

एतद्वारा संकल्प पारित किया जाता है कि बोर्ड की सहमति से आबंटन एवं सूचीकरण के लिए भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक / भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड / स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या अन्य यथोचित प्राधिकरण का अनुमोदन, सहमित, अनुमित, तथा जारी करने की संस्तुति प्राप्त करते समय, के द्वारा अपेक्षित / आरोपित परिवर्तन को स्वीकार करने की शक्ति तथा अधिकार बोर्ड को होगा।

एतद्वारा संकल्प पारित किया जाता है कि कथित इक्विटी शेयर अधिमान्य आधार पर इस संकल्प के अनुसार जारी तथा आबंटित किए जाने हैं, ये अभौतिक रूप में जारी किए जाएंगे तथा सेबी—आईसीडीआर के अध्याय 5 की अपेक्षाओं के अंतर्गत लॉक—इन अविध के अधीन होंगे तथा सभी मामलों में (लाभांश सिहत) बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों तथा स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के एक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के समान होंगे।"

एतद्वारा संकल्प पारित किया गया कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, ऐसे कार्य, मामलों के लिए प्राधिकृत किया गया है तथा ऐसी चीजें जो नितांत अनिवार्य, उचित, वांचित तथा किसी समस्या, कितनाई या संदेह जो इक्विटी शेयर जारी करने में हो सकता है, के लिए बोर्ड को विवेकाधिकार प्राप्त है तथा ऐसे कार्य, सभी दस्तावेजों को अंतिम रूप देने तथा अनिवार्य लेखन वांचित या उपाय जो अनुमित या अनुमोदन के लिए आवश्यक हैं के लिए बोर्ड को विवेकाधिकार प्राप्त है तथा ऐसी आशा है कि शेयर धारक प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित इस संकल्प को अपनी अनुमित प्रदान करेंगे।

एतद्वारा संकल्प पारित किया गया कि बोर्ड अपनी सभी शक्तियाँ या कोई विशेष शक्ति प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक या बैंक के ऐसे किसी अधिकारी को विवेकाधिकार प्रदान कर सकता है क्योंकि यह उपरोक्त कथित संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक है।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : चेन्नै

दिनांक: 03 अक्तूबर, 2019

पद्मजा चुन्डूरू

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(3)

टिप्पणियाँ

- सभी तात्विक तथ्यों को बताते हुए और प्रस्तावित समाधान के कारणों से संबंधित व्याख्यात्मक कथन यहाँ संलग्न है।
- यह नोटिस, पोस्टल बैलेट फॉर्म के साथ उन शेयरधारकों को ईलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाएंगे जिनका ई—मेल आईडी बैंक / निक्षेपागार के पास पंजीकृत हैं, बशर्ते किसी सदस्य ने भौतिक प्रति के लिए पंजीयन न किया हो। जिन शेयरधारकों ने ई—मेल पते का पंजीयन नहीं किया है उनके पते पर भौतिक प्रति अनुमेय माध्यम से भेजी जाएंगी। शेयरधारक कृपया नोट करें कि पोस्टल बैलट की यह सूचना बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है।
- 3. दिनांक 4 अक्तूबर 2019, शुक्रवार ("कट—आफ तारीख") तक शेयरधारक के नाम पर पंजीकृत शेयरों की चुकता पूंजी के मूल्य के अनुसार मतदान के अधिकार की गणना की जाएगी। केवल उन शेयरधारकों को जिनका नाम कट—आफ तारीख तक बैंक के शेयरधारकों की सूची में अथवा निक्षेपागार द्वारा रख—रखाव किए गए हिताधिकारियों की सूची में शामिल हो, वे ही पोस्टल बैलट या ई—वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के योग्य होंगे। जो व्यक्ति कट—आफ तारीख तक शेयरधारक नहीं है उनके लिए यह सुचना केवल जानकारी के लिए है।
- 4. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 के उपधारा (2 ई) के अनुसार प्रतिनिधि नए बैंक के शेयरधारक, केंद्र सरकार को छोड़कर, प्रतिनिधि नए बैंक के सभी शेयरधारकों की कुल मतदान के अधिकार से 10% से अधिक होने पर ही अपने द्वारा धारित शेयरों के संदर्भ में मतदान के आधिकार के लिए पात्र होंगे।
- 5. शेयरधारकों को मतदान के लिए एक ही माध्यम का चयन करना होगा अर्थात पोस्टल बैलट या ई—वोटिंग। यदि कोई शेयरधारक दोनों ही माध्यमों से मतदान करता है तो उसके द्वारा ई—वोटिंग के माध्यम से किया गया मतदान ही वैध माना जाएगा एवं पोस्टल बैलट के माध्यम से किया गया मतदान अमान्य होगा।
- 6. इसके अतिरिक्त, जिन शेयरधारकों ने पोस्टल बैलट की सूचना ई—मेल के माध्यम से प्राप्त की है और वे भौतिक रूप से पोस्टल बैलट फॉर्म के माध्यम से अपना मतदान करना चाहते हैं, वे बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in से पोस्टल बैलट फॉर्म डाउनलोड करके या कंपनी सचिव, इंडियन बैंक, 254— 260, अव्वै षण्मुगम सालै, रोयापेट्टा, चेन्नै 600014 के पते पर पत्राचार करके प्राप्त सकते हैं तथा इसे विधिवत भरकर एवं हस्ताक्षर करके संवीक्षक को इस तरह भेजें कि पोस्टल बैलट फॉर्म दिनांक 13 नवम्बर 2019, बुधवार को अपराह्न 5 बजे (आईएसटी) तक पहुँच जाए।
- 7. यदि संकल्प अपेक्षित बहुमत से पारित हो जाता है तो **दिनांक 13 नवम्बर 2019, बुधवार** अर्थात बैंक द्वारा विधिवत भरे हुए पोस्टल बैलट फॉर्म या ई—वोटिंग करने की अंतिम तिथि, को पारित माना जाएगा।
- 8. शेयरधारक अपना मतदान पोस्टल बैलट के माध्यम से परोक्ष रूप से नहीं कर सकता है।
- 9. जो शेयरधारक अपना मतदान पोस्टल बैलटफॉर्म के माध्यम से करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे पोस्टल बैलट फॉर्म की दूसरी ओर उल्लेखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और फॉर्म को विधिवत भर कर इसके साथ संलग्न स्व—पता मुद्रित पूर्व—प्रदत्त कारोबारी जवाबी लिफाफे में रख—कर संवीक्षक को इस प्रकार भेजें कि वह बुधवार दिनांक 13 नवम्बर 2019, बुधवार को अपराहन 5.00 बजे (आईएसटी) से पहले प्राप्त हो जाए।
- 10. डाक खर्च का भुगतान बैंक के द्वारा किया जाएगा। फिर भी, यदि पोस्टल बैलट फॉर्म वाला स्व—पता लिखा हुआ कारोबारी जवाबी लिफाफे को पंजीकृत / स्पीड—पोस्ट या कूरियर अथवा व्यक्तिगत रूप से अपने खर्च पर भेजा जाता है, तब भी वह स्वीकार्य होगा। यदि कोई पोस्टल बैलट फॉर्म 13 नवम्बर 2019, बुधवार के अपराहन 5 बजे (आईएसटी) के बाद प्राप्त होता है तो ऐसा माना जाएगा कि शेयरधारक की तरफ से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, कृपया नोट करें कि पोस्टल बैलट फॉर्म को अमान्य माना जाएगा, यदि:
 - i) शेयरधारक की सहमति और विसम्मति के बिना निर्धारण करना संभव न हो और / या
 - ii) सक्षम प्राधिकारी के द्वारा बैंक को लिखित रूप में किसी शेयरधारक के मतदान के अधिकार पर रोक लगाया जाए और / या
 - iii) यह इस तरह से विकृत या कटा—फटा हो कि इसकी मूल फॉर्म से मिलान संभव न हो और / या
 - iv) शेयरधारक ने संकल्प में किसी प्रकार का संशोधन किया हो अथवा मतदान के लिए किसी प्रकार का शर्त रखा हो और / या
 - v) फॉर्म में दिया गया विवरण अपूर्ण या गलत हो और / या





- vi) पोस्टल बैलट फॉर्म हस्ताक्षरित न हो अथवा हस्ताक्षर का मिलान न हो और / या
- vii) बैंक द्वारा जारी किए गए पोस्टल बैलट फॉर्म के अलावा कोई अन्य फॉर्म का उपयोग किया गया हो।
- 11. यदि कोई शेयरधारक पोस्टल बैलट प्रारूप की द्वितीय प्रति प्राप्त करने का इच्छुक हो तो शेयरधारक इंडियन बैंक के कंपनी सचिव को पत्र लिख कर प्राप्त कर सकता है। फिर भी, यह पोस्टल बैलट फॉर्म की द्वितीय प्रति विधिवत रूप से भरकर और हस्ताक्षर कर संवीक्षक को 13 नवम्बर 2019, बुधवार को अपराहन 5 बजे (आईएसटी) तक प्राप्त होनी चाहिए।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अनुक्रम संख्या (EVSN) 191005001 है

12. ई-वोटिंग प्रक्रिया:

जो बैंक के शेयरधारक, कट—आफ तारीख, यानी शुक्रवार 4 अक्तूबर, को, भौतिक या डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयरों को रखते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। ई—वोटिंग की सुविधा मंगलवार 15 अक्तूबर, 2019 को पूर्वाह 09:00 बजे से **बुधवार,** 13 नवम्बर, 2019 अपराह 05:00 बजे तक सभी शेयरधारकों के लिए खुली रहेगी। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई—वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

दूरस्थ ई–मतदान के लिए प्रक्रिया और तरीके निम्नानुसार हैं :

क) ई-वोट देने के लिए निम्नानुसार करें

- (I) निम्नलिखित यूआरएल टाइप करके इंटरनेट ब्राउज़र लॉन्च करें : https://www.evotingindia.com/
- (ii) शेयरधारक लॉगिन पर क्लिक करें
- (iii) अब अपना यूजर आईडी की प्रविष्टि करें
 - (क) सीडीएसएल के लिए : 16 अंकों की लाभार्थी आईडी,
 - (ख) एनएसडीएल के लिए: 8 कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 डिजिट क्लाइंट आईडी,
 - (ग) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर दर्ज करना चाहिए।
- (iv) छवि सत्यापन को प्रदर्शित किए अनुसार दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें।
- (v) यदि आप डीमैट फॉर्म में शेयर रख रहे हैं और www.evotingindia.com पर लॉगइन किया है और किसी अन्य कंपनी के वोटिंग में शामिल हुये है, तो आपके मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते है।
- (vi) यदि आप पहली बार उपयोगकर्ता हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें –

	डीमैट फॉर्म और भौतिक फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए	
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अल्फा—न्यूमरिक 10 अंकोंवाला अपना पैन दर्ज करें (डीमेट शेयरधारक और भौतिक शेयरधारक दोनों के लिए लागू)	
	 जिन सदस्यों ने बैंक / आरटीए / निक्षेपागार प्रतिभागी के साथ अपने पैन को अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने नाम के पहले दो अक्षर और पैन अनुक्रम संख्या के 8 अंकों का उपयोग करें। 	
	 यदि अनुक्रम संख्या 8 अंकों से कम है, तो नाम के पहले दो कैपिटल अक्षरों के बाद पैन संख्या से पहले लागू 0 संख्या दर्ज करें। उदाहरण के लिए यदि आपका नाम रमेश कुमार है और अनुक्रम संख्या 1 है तो पैन क्षेत्र में RA00000001 दर्ज करें। 	
लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि	लॉगिन करने के लिए लाभांश बैंक विवरण या अपने डीमैट खाते में या बैंक / आरटीए के रिकॉर्ड में दर्ज जन्म तिथि (dd/mm/yyyy प्रारूप में) दर्ज करें।	
	 यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या कंपनी के साथ दर्ज नहीं हैं, तो निर्देश (iii) में उल्लिखित लाभांश बैंक विवरण फील्ड में सदस्य आईडी / फोलियो संख्या दर्ज करें। 	

(3)

- (vii) इन विवरणों को उचित रूप से दर्ज करने के बाद, "SUBMIT" टैब पर क्लिक करें।
- (viii) भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले सदस्य इसके बाद सीधे वोटिंग स्क्रीन में पहुँच जाएँगे। तथापि डीमैट रूप में शेयर धारित करनेवाले सदस्य, अब "पासवर्ड सृजन" के मेनु में पहुँचेंगे जहाँ उनसे अनिवार्यतः अपेक्षा की जाती है कि वे नये पासवर्ड फील्ड में अपने लागइन पासवर्ड को प्रविष्टि करें। कृपया नोट करें कि इस पासवर्ड का प्रयोग डीमैट धारकों द्वारा अन्य किसी भी कंपनी के संकल्पों के लिए वोट करने हेतु भी किया जाएगा, जहाँ वे वोट देने के लिए पात्र हैं बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लैटफार्म के जिरए ई—वोटिंग का विकल्प उपलब्ध कराती है। हमारी सलाह है कि आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने हेतु अत्यन्त सावधानी बरतें।
- (ix) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए, इस नोटिस में निहित प्रस्तावों पर केवल ई—वोटिंग के लिए विवरण का उपयोग किया जा सकता है।
- (x) संबंधित <Indian Bank> ईवीएसएन पर क्लिक करें, जिस पर आप मतदान देना चाहते हैं।
- (xi) वोटिंग के पृष्ठ पर आप संकल्प का वर्णन पाएँगे और उसके सामने मतदान हेतु ''हाँ / नहीं'' का विकल्प होगा। अपनी इच्छानुसार "हाँ" या "नहीं" का चयन करें। "हाँ" विकल्प का अभिप्राय यह है कि आप संकल्प से सहमत हैं और "नहीं" विकल्प का अभिप्राय यह है कि आप संकल्प से सहमत नहीं हैं।
- (xii) आप संपूर्ण संकल्पों को देखना चाहते हैं तो ''संकल्प फाइल लिंक'' पर क्लिक करें।

कार्यसूची मद संख्या 1 के लिए

- (xiii) वोटिंग के पृष्ठ पर, **कट—ऑफ दिनांक** अर्थात **शुक्रवार, 04 अक्तूबर, 2019** को बैंक के शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या दिखाई देगी।
- (xiv) कार्यसूची मद संख्या 1 के संबंध में, आप स्वीकृत या अस्वीकृत पर क्लिक कर सकते हैं। आपने जिस संकल्प पर मतदान देने का निर्णय लिया है, उसको चुनने के बाद '**'सब्मिट''** पर क्लिक करें और प्रॉम्प्ट होने पर **"कन्फ्रम"** भी क्लिक करें।
- (xv) एक पुष्टिकरण बक्स प्रदर्शित किया जाएगा। आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो ''ओके''(OK) पर क्लिक करें या अपना वोट बदलना चाहते हैं तो ''कैन्सल'' पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट को आशोधित करें।
- (xvi) आप जब एक बार संकल्प पर अपना वोट ''पुष्टिकृत'' (CONFIRM) कर देते, तो आपको उसे बदलने नहीं दिया जाएगा।
- (xvii) वोटिंग के पृष्ठ पर प्रिंट करने के लिए यहाँ क्लिक करें" पर क्लिक करके आप अपने द्वारा किए वोट को प्रिंट भी कर सकेंगे।
- (xviii) यदि आप इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण करते हैं और लॉगिन पासवर्ड भूल गए हैं तो उपयोगकर्ता आईडी और छवि सत्यापन कोड दर्ज करें और "पासवर्ड भूल गए" पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा बताए गए विवरण दर्ज करें।
- (xix) शेयरधारक सीडीएसएल के मोबाइल ऐप एम— वोटिंग का उपयोग करके अंड्राइड आधारित मोबाइलों पर भी अपना वोट दे सकते हैं एम— वोटिंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप्पल और विंडोज फोन उपयोगकर्ता क्रमशः ऐप स्टोर और विंडोज फोन स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कृपया अपने मोबाइल पर मतदान करते समय मोबाइल ऐप द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करें।
- (xx) गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक और कस्टोडियन नोट करें -
 - (क) गैर—व्यक्तिगत शेयरधारकों (अर्थात, वैयक्तिक, एचयूएफ़, एनआरआई आदि से अन्य) और कस्टोडियन को www.evotingindia.com पर लॉग इन करना होगा और खुद को कॉर्पोरेट्स के रूप में पंजीकृत कराना होगा।
 - (ख) संस्था के स्टांप और हस्ताक्षर सहित पंजीकृत करनेवाले संस्था को पंजीकरण फॉर्म की स्कैन helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करना चाहिए।
 - (ग) लॉगिन विवरण प्राप्त करने के बाद एडिमन लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग करके एक अनुपालन उपयोगकर्ता बनाया जाना चाहिए। अनुपालन उपयोगकर्ता उस खाते (खातों) को लिंक करने में सक्षम होगा जिसके लिए वे वोट करना चाहते हैं।
 - (घ) लॉगिन में लिंक किए गए खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल की जानी चाहिए और उन खातों के अनुमोदन पर वे अपना वोट दे सकेंगे।
 - (ङ) बोर्ड के संकल्प और पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) की एक स्कैन की गई प्रतिलिपि जो उन्होंने कस्टोडियन के पक्ष में जारी की है, यदि कोई है, तो इसे सत्यापित करने के लिए स्क्रुटिनीज़र के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए।

3



- (बी) यदि ई—वोटिंग के संबंध में आपको कोई प्रश्न या पूछताछ है, तो आप "बार—बार पूछे जानेवाले प्रश्न" (एफएक्यू) या www.evotingindia.com में उपलब्ध ई—वोटिंग अनुदेश पुस्तिका का संदर्भ लें या टोल फ्री नंबर 1800—22—5533 पर संपर्क करें या helpdesk.evoing@cdsindia.com में हमें ई—मेल भेजें।
- 13. पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान का सम्मापन होने पर संवीक्षक द्वारा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यलापक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) या निदेशक मण्डल द्वारा प्राधीकृत बैंक का कोई कार्यपालक निदेशक या उनके द्वारा प्राधीकृत कोई अन्य, जो उस पर हस्ताक्षरित कर सके, के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रत्येक कार्यसूची की मदों में निर्धारित विशेष संकल्पों के पक्ष में या उसके विरुद्ध डाले गए कुल मतों पर संवीक्षक की रिपोर्ट तैयार करेंगे। पोस्टल बैलेट फोरम की अविध पर संवीक्षक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

अध्याय V सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के संदर्भ में आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण विवरण और प्रकटीकरण भारत सरकार (जीओआई) को अधिमान्य आवंटन के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी करना

ए) अधिमान्य इश्यू का उद्देश्य

बैंक की प्रदत्त पूंजी में रु.10 /— के प्रत्येक शेयर के 49,15,34,626 इक्विटी शेयर में कुल रु.491.53 करोड़ की राशि है। जिनमें से, भारत सरकार के पास रु.10 /— प्रत्येक शेयर के 39,13,69,637 इक्विटी शेयर हैं, जिसकी कुल राशि रु.391.37 करोड़ (79.62%) है।

भारत सरकार ने दिनांक 27 सितंबर, 2019 के अपने सम्प्रेषण के जरिए, भारत सरकार को इक्विटी शेयरों के अधिमान्य आवंटन के माध्यम से हमारे बैंक में रु.2534 करोड़ रुपये के पूंजीगत निधि को देने के अपने निर्णय से अवगत कराया। बैंक को दिनांक 30.09.2019 को रु.2534 करोड़ (दो हजार पांच सौ चौंतीस करोड़) की राशि प्राप्त हुई है।

सरकार को इक्विटी के प्रस्तावित अधिमान्य इश्यू का उपयोग बैंक की पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने और उसके योजनाओं के विकास का समर्थन और इश्यू के खर्चों को पूरा करने सहित अन्य सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। प्रस्तावित अधिमान्य इश्यू के साथ, बैंक की इक्विटी पूंजी में भारत सरकार की होल्डिंग 79.62% के मौजूदा स्तर से बढ़ जाएगी।

बी) जारी की जाने वाली निर्दिष्ट प्रतिभृतियों की अधिकतम संख्याः

विशेष संकल्प को पोस्टल बैलेट की अंतिम तिथि यानी बुधवार, 13.11.2019 को पारित माना जाएगा। सेबी(पूंजी और प्रकटीकरण की आवश्यकता के इश्यू) विनियम, 2018 के विनियमन 161 के अनुसरण, प्रासंगिक तिथि सोमवार 14.10.2019 है और इश्यू मूल्य की गणना सेबी (पूंजी और प्रकटीकरण की आवश्यकता के इश्यू) 164 विनियम, 2018 के विनियमन 161 के अनुसार की जाएगी। इश्यू मूल्य और जारी की जानेवाली शेयरों की संख्या और भारत सरकार ("जीओआई") को आवंटित शेयर को प्रासंगिक तिथि के बाद स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा।

सी) ऑफ्र की सदस्यता के लिए जारीकर्ता को प्रोमोटर, निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की मंशाः

बैंक में भारत सरकार (जीओआई) की शेयरहोल्डिंग 79.62 प्रतिशत है और प्रस्तावित अधिमान्य इश्यू भी भारत सरकार को बनाया जाना है। भारत सरकार के अलावा किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को भारत सरकार को छोड़कर ऑफर अभिदान करने का इरादा नहीं है।

डी) इश्यू से पहले और बाद में शेयरहोल्डिंग पैटर्न

क्र.सं	संवर्ग	इश्यू के पहले (सितम्बर 30, 2019 को)	
		धारित शेयरों की संख्या	शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत
у)	प्रमोटर की होल्डिंग (भारत सरकार)	39,13,69,637	79.62
बी)	गैर-प्रमोटर की होल्डिंग	10,01,64,989	20.38
कुल		49,15,34,626	100.00



बैंक का पूर्वोक्त शेयरधारिता पैटर्न, भारत सरकार ("भा.स") को प्रस्तावित प्रिफरेंसियल इश्यू से पहले है, क्योंकि भारत सरकार को आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की अपेक्षित संख्या प्रासंगिक तिथि अर्थात 14.10.2019 के शेयर निर्गम की कीमत के निर्धारण के बाद ही पता लगाया जाएगा । भारत सरकार को आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की संख्या और पोस्ट इश्यू शेयरहोल्डिंग पैटर्न शेयर निर्गम की कीमत के निर्धारण के बाद शेयर बाजारों को सचित किया जाएगा ।

ई) समय सीमा, जिसके भीतर अधिमान्य शेयर निर्गम पूरा हो जाएगा:

विशेष संकल्प के आबंटन का पालन विशेष प्रस्ताव के पारित होने की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा, बशर्ते कि आवंटन के लिए सेबी या केंद्र सरकार जैसे किसी भी नियामक प्राधिकरण द्वारा कोई अनुमोदन या अनुमित लंबित नहीं है। इस तरह के आवंदन पर 15 दिन की अविध (पंद्रह) दिनों को आदेश की तारीख या अनुमोदन या अनुमित की तारीख से गणना की जाएगी, जो भी लागू हो।

एफ) उन संबन्धित व्यक्तियों की पहचान जो आबंटित किए गए शेयरों के अंतिम लाभकारी मालिक हैं और / या जो अंततः प्रस्तावित आवंटियों को नियंत्रित करते हैं, जारीकर्ता के संबंध में प्रिफरेंसियल इश्यू के परिणामस्वरूप, यदि कोई हो तो पोस्ट प्रेफरेंशियल इश्यू कैपिटल का प्रतिशत जो उनके पास हो सकता है और नियंत्रण में बदला जा सकता है ।

बैंक का अंतिम लाभकारी स्वामी भारत सरकार है और इसलिए व्यक्ति की पहचान प्रदान नहीं की जा सकती है।

जैसा कि पूरे इश्यू को भारत सरकार ("भा.स"), बैंक के प्रमुख शेयरधारक और प्रमोटर को जारी किया जाना है, इस इश्यू के बाद नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं होगा।

जी) आश्वासित किया जाता है कि जारीकर्ता इन विनियमों के प्रावधान के संदर्भ में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की कीमत की फिर से गणना करेगा, जहां ऐसा करना आवश्यक है:

चूंकि बैंक के इक्विटी शेयरों को संबंधित तिथि से पहले 26 सप्ताह से अधिक की अविध के लिए मान्यता प्राप्त शेयर बाज़ारों में सूचीबद्ध किया गया है, बैंक को प्रति इक्विटी शेयर की कीमत की पुनः गणना करने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए बैंक को आईसीडीआर विनियमों के विनियम 163 के तहत निर्दिष्ट आश्वासन को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

एच) जैसा कि सभी शेयरों को भारत सरकार (भा.स) को जारी किया जाना है, सेबी के (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं को जारी करना) 2018 की अनुसूची VI में निर्दिष्ट प्रकटीकरण पर लागू नहीं होते हैं।

आई) अवरुद्धता और ट्रांसफ्रेबिलिटी पर प्रतिबंध:

1. भारत सरकार (भा.स) को आबंटित इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयरों को दी गई व्यापार हेतु अनुमोदन की तारीख से 3 (तीन) वर्षों की अविध के लिए अवरुद्ध रहेंगे ।

बशर्ते कि जारीकर्ता की कुल पूंजी का 20 (बीस) प्रतिशत से अधिक व्यापार अनुमोदन की तारीख से 3 (तीन) वर्षों के लिए अवरुद्ध नहीं होगा।

बशर्ते कि 20 (बीस) प्रतिशत से अधिक के शेयर आबंटित किए गए हों, व्यापार हेतु अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष के लिए अनुवर्ती विकल्पों का प्रयोग करने या अन्यथा के लिए अवरुद्ध किया जाएगा, जो भी लागू हो ।

2. आबंटियों को सभी पूर्व— अधीमान्य आबंटित शेयरधारिता, यदि कोई हो, ट्रेडिंग की तारीख से छह महीने की अवधि तक प्रासंगिक तिथि से लॉक—इन होगी।

जे) लेखा परीक्षा का प्रमाणपत्र:

बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों का एक प्रमाण पत्र, यह प्रमाणित करने के लिए कि यह मुद्दा सेबी (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम 2018 की आवश्यकताओं सहित बनाया जा रहा है, प्रस्तावित अधिमान्य मुद्दे पर विचार करते हुए डाक मतपत्र के परिणामों की घोषणा की तारीख तक बैंक की वेबसाइट / प्रधान कार्यालय, चेन्नै में उपलब्ध होगा।



के) अन्य आवश्यकताएँ

- ए) भारत सरकार ("जीओआई") द्वारा रखे गए सभी शेयर अभौतिक रूप में में हैं और बैंक इक्विटी शेयरों की निरंतर लिस्टिंग की शर्तों के अनुपालन में है, जैसा कि शेयर बाजारों में दर्ज किए गए लिस्टिंग समझौते में निर्दिष्ट किया गया है जहां इक्विटी शेयर बैंक सूचीबद्ध हैं।
- बी) भारत सरकार ने प्रस्तावित भारत 22 ईटीएफ मामले में बैंक के इक्विटी शेयर बेचने का प्रस्ताव किया है। चूंकि यह विक्रय प्रासंगिक तिथि से पहले के छह महीनों के दौरान होगी, भारत सरकार की ओर से बैंक सेबी (आईसीडीआर) के विनियमन (वर्तमान) नियमों के तहत 159 (1) के विनियमन से प्रयोज्यता से छूट / अनुमति प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पसंद कर रहा है।
- सी) बैंक के किसी भी निदेशक की पहचान इरादतन चूक कर्ता के रूप में नहीं की गई है।
- डी) बैंक के किसी भी निदेशक को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित नहीं किया गया है।

सेबी [पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं ("एलओडीआर")] विनियम, 2015 और सेबी [पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा ("आईसीडीआर")] विनियम, 2018 के लिए, उपरोक्त कार्यवृत के लिए एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से बैंक के शेयरधारकों की स्वीकृति आवश्यक है।

आपके निदेशक पोस्टल बैलट की सूचना के कार्यवृत मद संख्या 1 में निर्धारित विशेष संकल्प की सिफारिश करते हैं।

बैंक में कोई भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का बैंक में अपनी हिस्सेदारी, यदि कोई है, को छोड़कर, उपरोक्त संकल्प में कोई दिलचस्पी या विचार नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश अनुसार

स्थान : चेन्नै

दिनांक: 3 अक्टूबर, 2019

पद्मजा चुन्डूरू

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी







Head Office : 66, Rajaji Salai, Chennai - 600 001. Corporate Office : 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014.

POSTAL BALLOT NOTICE

Dear Shareholder(s),

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force) to seek consent of the Shareholders of Indian Bank (hereinafter referred to as "the Bank") to pass the Special Resolution by way of Postal Ballot including voting by electronic means i.e. "e-Voting".

The proposed Special Resolution and Explanatory Statement, stating the material facts and reasons thereof are annexed hereto.

The Bank has appointed Ms. Malati Kumar (COP no. 10980) or failing her Ms. Ashwini Vartak (COP no.16723) of M/s. S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries, Thane as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner.

Please read carefully the instructions printed in the Notice of Postal Ballot and Form and return the Form duly completed in all respects in the enclosed self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope (Envelope) so as to reach the Scrutinizer not later than close of working hours i.e. 5.00 p.m. on **Wednesday**, **the November 13**, **2019** at the address as indicated on the Envelope.

The Bank is also providing e-Voting facility for voting on the Special Resolution. The Shareholders desiring to opt for e-Voting facility are requested to read the notes to the Notice of Postal Ballot and instructions given there under for e-Voting purpose.

The Postal Ballot and e-voting will commence on **Tuesday, the October 15, 2019** and end on **Wednesday, the November 13, 2019**.

Agenda item no.1:

Issue of Equity Shares through Preferential Allotment to Government of India (GOI)

To consider, and if thought fit to pass with or without modification the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (the Act) and Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999 as amended from time to time (the Regulations) and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI) and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (SEBI ICDR Regulations) as amended upto date and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot such number of equity shares of face value of ₹ 10/- (Rupees ten only) each for cash at Issue Price as determined in accordance with Regulation 164 (1) of SEBI (ICDR) Regulations, 2018, aggregating upto ₹2534 crore (Rupees Two Thousand Five hundred thirty four crore only) inclusive of premium on preferential basis to Government of India (President of India)."

52





"RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is Monday, the October 14, 2019."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities and Exchange Board of India / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this Resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements required under Chapter V of the SEBI-ICDR Regulations and shall rank *pari passu* in all respects (including dividend) with the existing equity shares of the Bank and be listed on the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Directors or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By Order of the Board of Directors

Place : Chennai

Date: October 03, 2019

Padmaja Chunduru Managing Director & CEO



3

NOTES

- The Explanatory Statement stating all material facts and reasons for the proposed Special Resolution is annexed hereto.
- 2. This Notice along with the Postal Ballot Form is being sent by the electronic mode to those Shareholders, whose email addresses are registered with the Bank/Depositories, unless any shareholder has registered for a physical copy of the same. For Shareholders who have not registered their email addresses, physical copies are being sent by the permitted mode. The Shareholders may note that this Notice of Postal Ballot will be available on the Bank's website, www.indianbank.in and on the website of Central Depository Services (India) Limited i.e. www.evotingindia.com
- 3. The voting rights will be reckoned on the paid-up value of Equity Shares registered in the name of the Shareholders on Friday, the October 04, 2019 ("Cut-off date"). Only those Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Bank or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date will be entitled to cast their votes by Postal Ballot or e-Voting. A person who is not a Shareholder as on the Cut-off Date should treat this Notice of Postal Ballot for information purposes only.
- 4. In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank**.
- 5. The Shareholders can opt for only one mode of voting i.e., either Postal Ballot Form or e-Voting. In case, any shareholder cast his/her vote both by Postal Ballot Form and e-Voting, the vote cast through e-Voting shall prevail and the vote cast through Postal Ballot Form shall be considered invalid.
- 6. Further, Shareholders, who have received the Notice of Postal Ballot by email and who wish to vote through physical Postal Ballot Form, can download Postal Ballot Form from the Bank's website www.indianbank.in or by writing to the Company Secretary, Indian Bank at 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai 600014 and send the duly completed and signed Postal Ballot Form to the Scrutinizer so as to reach on or before 5.00 p.m. (IST) on **Wednesday, the November 13, 2019.**
- 7. The Special Resolution, if passed by requisite majority, shall be deemed to have been passed on **Wednesday, the November 13, 2019** i.e., the last date specified by the Bank for receipt of duly completed Postal Ballot Forms or e-Voting.
- 8. A shareholder cannot exercise his/her vote by proxy on Postal Ballot.
- 9. The Shareholders desiring to exercise their vote by Postal Ballot Form are requested to carefully read the instructions printed overleaf on the Postal Ballot Form and return the said Form duly completed and signed, in the enclosed self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope to the Scrutinizer, so that it reaches the Scrutinizer not later than 5.00 p.m. (IST) on **Wednesday, the November 13, 2019.**
- 10. The postage will be borne by the Bank. However, envelopes containing Postal Ballot Form, if sent by courier or registered/speed post or deposited personally at the address given on the self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope at the expense of the Shareholder/s will also be accepted. If any Postal Ballot Form is received after 5.00 p.m. (IST) on Wednesday, the November 13, 2019, it will be considered that no reply from the Shareholder/s has been received. Additionally, please note that the Postal Ballot Forms shall be considered invalid if:
 - i) it is not possible to determine without any doubt the assent or dissent of the Shareholder/s; and/ or
 - ii) a Competent Authority has given directions in writing to the Bank to freeze the voting rights of the Shareholder/s; and/or
 - iii) it is defaced or mutilated in such a way that its identity as a genuine form cannot be established; and/or
 - iv) the Shareholder/s has made any amendment to the resolution set out herein or imposed any condition while exercising his/her vote; and/or







- v) the details provided in the form are incomplete or incorrect; and/or
- vi) Postal Ballot Form is not signed or signature does not tally; and/or
- vii) the Postal Ballot Form other than the one issued by the Bank is used.
- 11. In case, a Shareholder is desirous of obtaining a duplicate Postal Ballot Form, the Member may write to the Company Secretary at Indian Bank. However, the duly completed and signed Duplicate Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer on or before 5.00 p.m. (IST) on **Wednesday**, **the November 13, 2019**.

The Electronic Voting Sequence Number (EVSN) is 191005001

12. e-Voting process:

Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in Dematerialized form, as on the **Cut – off Date** i.e. **Friday, the October 04, 2019** may cast their vote electronically. E-voting facility shall remain open to all shareholders from **09:00 a.m. on Tuesday, the October 15, 2019 till 05:00 p.m. on Wednesday, the November 13, 2019.** The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

- I. the process and manner for remote e-voting are as under:
- a) Follow steps to cast E-vote:
 - (i) Launch internet browser by typing the following URL: https://www.evotingindia.com/
 - (ii) Click on Shareholder Login
 - (iii) Now Enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.
 - (iv) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
 - (v) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.
 - (vi) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form	
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)	
	 Members who have not updated their PAN with the Bank/ RTA/ Deposit Participant are requested to use the first two letters of their name and 8 digits of the sequence number in the PAN field. 	
	 In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field. 	
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank/RTA's records in order to login.	
	If both the details are not recorded with the depository or company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iii).	





- (vii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- (viii) Members holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (ix) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (x) Click on the EVSN for the relevant < Indian Bank > on which you choose to vote.
- (xi) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

For Agenda Item No.1

- (xiii) On the voting page, the number of shares as held by the Shareholder of the Bank as on the **Cut-off Date** i.e. **Friday, the October 04, 2019** will appear.
- (xiv) In respect of Agenda item No.1, you may click on the assent or dissent as the case may be. Cast your vote by selecting appropriate option and click on "SUBMIT" and also "CONFIRM" when prompted.
- (xv) A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- (xvi) Once you "CONFIRM" your vote on the agenda items, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvii) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- (xviii) If you are holding shares in electronic form and have forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xix) Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.
- (xx) Note for Non Individual Shareholders and Custodians
 - a) Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
 - b) A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
 - c) After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
 - d) The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
 - e) A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.





- b) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or you may contact at a toll free number 1800-22-5533 or you may write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- 13. The Scrutinizer shall, after the conclusion of voting through Postal Ballot, make a Scrutinizer's Report on the total votes cast in favour or against the Special Resolution as set out in the Agenda Item, to the Managing Director & Chief Executive Officer (MD&CEO) or any of the Executive Directors of the Bank as authorised by the Board of Directors or any other person authorised by him, who shall countersign the same. The Scrutinizer's decision on the validity of a Postal Ballot Form will be final and binding.

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Chapter V SEBI (ICDR) Regulations, 2018.

Issue of Equity Shares through Preferential Allotment to Government of India (GOI)

a) Objects of the Preferential Issue

The Paid-up Capital of the Bank consists of 49,15,34,626 Equity Shares of ₹ 10/- each amounting to ₹ 491.53 crore. Of which, the Government of India is holding 39,13,69,637 Equity Shares of ₹ 10/- each amounting to ₹ 391.37 crore (79.62%).

The proposed preferential issue of equity to the Government will be utilized to meet the capital requirements of the Bank and to support its growth plans and for other general corporate purposes including meeting the expenses of the issue. With the proposed Preferential Issue, the holding of Government of India in the Equity Capital of the Bank will increase from the existing level of 79.62%.

b) Maximum number of specified securities to be issued:

The Special Resolution shall be deemed to be passed on the last date of Postal Ballot i.e., Wednesday, the November 13, 2019. Pursuant to Regulation 161 of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, the Relevant Date is Monday, the October 14, 2019 and the Issue Price will be calculated in accordance with Regulation 164 of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018. The Issue Price and the number of Shares to be issued and allotted to the Government of India ("GOI") shall be intimated to the Stock Exchanges after the Relevant Date.

c) Intent of the promoters, directors or key managerial personnel of the issuer to subscribe to the offer:

Government of India ("GOI") shareholding in the Bank is 79.62 % and the proposed preferential issue is also to be made to the GOI. None of the Directors or Key Managerial Personnel have intent to subscribe the offer except the GOI.

d) Shareholding Pattern before and after the issue

SI.No.	Category	Before the issue (As on September 30, 2019)	
		No. of shares held	Percentage of shareholding
Α	Promoter's Holding (Government of India)	39,13,69,637	79.62
В	Non-Promoter Holding	10,01,64,989	20.38
	Total	49,15,34,626	100.00





The aforesaid shareholding pattern of the Bank is before the proposed preferential issue to the Government of India ("GOI") as requisite number of Equity Shares to be allotted to the GOI shall be ascertained only after the determination of Issue Price on Relevant Date i.e. October 14, 2019. The number of equity shares to be allotted to GOI and the Post Issue Shareholding Pattern will be informed to the Stock Exchanges after the determination of the Issue Price.

e) Time frame within which the preferential issue shall be completed:

The allotment pursuant to the Special Resolution shall be completed within a period of 15 (fifteen) days from the date of passing of the special resolution provided that any approval or permission by any Regulatory Authority like SEBI or the Central Government for allotment is not pending, the period of 15 (fifteen) days shall be counted from the date of the order on such application or the date of approval or permission, as the case may be.

f) Identity of the natural persons who are the ultimate beneficial owners of the shares proposed to be allotted and/or who ultimately control the proposed allottees, the percentage of post preferential issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the issuer consequent to the preferential issue:

The ultimate beneficial owner of the Bank is Government of India and hence identity of natural person cannot be provided.

As the entire issue is to be made to the Government of India ("GOI"), the major Shareholder and Promoter of the Bank, there would not be any change in control subsequent to the issue.

g) Undertaking that the issuer shall re-compute the price of the specified securities in terms of the provision of these regulations where it is required to do so:

Since the Equity Shares of the Bank have been listed on recognized stock exchange for a period of more than 26 weeks prior to the relevant date, the Bank is not required to re-compute the price per equity share and therefore the Bank is not required to submit the undertaking specified under Regulations 163 of the ICDR Regulations.

- h) As all the shares are to be issued to Government of India ("GOI") the disclosures as specified in Schedule VI to the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 are not applicable.
- i) Lock-in and Restrictions on Transferability:
 - 1. The Equity Shares allotted to the Government of India ("GOI") shall be locked-in for a period of 3 (three) years from the date of trading approval granted to the Equity Shares.

Provided that not more than 20 (twenty) per cent of the total capital of the issuer shall be locked-in for 3 (three) years from the date of trading approval.

Provided further that Equity Shares allotted in excess of the 20 (twenty) per cent shall be locked-in for one year from the date of trading approval pursuant to exercise of options or otherwise, as the case may be.

2. The entire pre-preferential allotment shareholding of the allottees, if any, shall be locked-in from the Relevant Date up to a period of 6 (six) months from the date of trading approval.

j) Auditor's Certificate:

A Certificate of the Statutory Auditors of the Bank shall be available at the Bank's Website / Head Office, Chennai of the Bank till the date of announcement of results of the Postal Ballot considering the proposed preferential issue, for certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018.





k) Other Requirements

- a) All the Shares held by the Government of India ("GOI") are in Dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of Equity Shares as specified in the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed.
- b) GOI proposes to sell equity shares of the Bank in the proposed Bharat 22 ETF issue. As this sale will be during the six months preceding the Relevant Date, the Bank on behalf of GOI is preferring an application seeking exemption / permission from SEBI from the applicability under Regulation 159(1) of SEBI (ICDR) Regulations to the present Issue.
- c) None of the Directors of the Bank have been identified as a willful defaulter.
- d) None of the Directors of the Bank have been declared as a fugitive economic offender.

Pursuant to the SEBI [Listing Obligations & Disclosure Requirements ("LODR")] Regulations, 2015 and SEBI [Issue of Capital and Disclosure Requirements ("ICDR")] Regulations, 2018, approval of the Shareholders of the Bank is required by way of a Special Resolution for the aforesaid Agenda.

Your Directors recommend the Special Resolution as set out in Agenda Item No. 1 of the Notice of Postal Ballot.

None of the Directors / Key Managerial Personnel of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

By Order of the Board of Directors

Place: Chennai

Date: October 03, 2019

Padmaja Chunduru Managing Director & CEO